नम्बर व तारीख अहकाम व हुक्म की तामील में जारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः अपील / 144 / 2012 — दायर दिनांकः 08.10.2012

GCMS CASE NO- 2012/00313

स्वर्ण कौर पत्नी स्व0 कुशाल सिंह जाति रायसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (अपीलांट)

बनाम

1. गोपाल सिंह पुत्र लक्षमण सिंह जाति रायसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. प्रीतो बाई पुत्री लक्षमण सिंह जाति रायसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. कौशल्या बाई पुत्री लक्षमण सिंह जाति रायसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. जीतो बाई पुत्री लक्षमण सिंह जाति रायसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. रानो बाई लक्षमण सिंह जाति रायसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. मलकीत कौर पुत्री लक्षमण सिंह जाति रायसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़

(रेस्पोडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री तिलक राज चुघ, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री रमेश कुमार सोंलकी, अधिवक्ता रेस्पोडेकंट संख्या 4 ता 5
4. पैरोकार राज

:: **निर्णय** :: — दिनांकः– 06.01.2023

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने जरिये अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के ससुर लक्षमण सिंह पुत्र सोहनसिंह के नाम से चक 11 एलएसएम 'ए' का मुरब्बा न. 315 / 372 के किला न. 1 ता 25 की 6.325 है0 कमाण्ड़ भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। लक्षमण सिंह का देहान्त दिनांक 14.12.2011 को हो चुका है तथा उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई का भी देहान्त हो चुका है। इस प्रकार अपीलांट के पति कुशाल सिंह एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 लक्षमण सिंह के वारिसान थे। जिसमें से अपीलांट के पति कुशाल सिंह का भी देहान्त हो चुका है जिसके देहान्त के उपरांत अब अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 लक्षमण सिंह के विधिक वारिसान है। लक्षमण सिंह के देहान्त उपरांत उक्त भूमि उनके वारिसान को विरास्तन प्राप्त हुई तथा वारिसान संयुक्त अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही थी। लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा स्वयं अकेले उक्त कृषि भूमि को हडपने के उदेश्य से मृतक लक्षमण सिंह की फर्जी एवं कूटरचित वसीयत तैयार कर उक्त वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन इंतकाल संख्या 157 दिनांक 28.05.2012 दर्ज करवा लिया। मृतक लक्षण सिंह की निर्वसीयत मृत्यु हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की जांच की गई तथा अपीलांट को ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। इंतकाल की सारी कार्यवाही आनन–फानन में तथा विधि विरूद्ध तरीके से की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 51 / 2012 में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 24.04.2012 एवं इसके आधार पर स्वीकृशुदा इंतकाल संख्या 157 दिनांक 28.05.2012 निरस्त किया जावे।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया गया। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री तिलक राज चुघ हाजिर आये व रेस्पोडेंट संख्या संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित आये। रेस्पोडेंट संख्या 02 को नोटिस तामील होने बावजूद [illegible] नहीं आने पर आदेशिका दिनांक 26.04.2018 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अ[illegible] में लाई गई। रेस्पोडेंट संख्या 3 को भेजे गये रजिस्टर्ड ऐडी नोटिस तामील बाद तामील प्राप्त हुए। [illegible] संख्या 3 बावजूद पर्याप्त सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 6 की ओर से अ[illegible] श्री रमेश कुमार सोलंकी [illegible] रेस्पोडेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:26:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 7 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की जांच की गई तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान ना करते हुए अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय पारित किया है। अपीलांटगण अपीलाधीन कृषि भूमि के मूल खातेदार लक्ष्मण सिंह के विधिक वारिसान है। लक्ष्मण सिंह की निर्वसीयत मृत्यु हुई है। अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित है एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे।

4. अधिवक्ता रेस्पोडेटगण संख्या 1, 4 ता 6 एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जिससे अपीलांट अपना पक्ष नहीं रख पाये है। अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने के कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5. धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश अपीलांट को नोटिस दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनाये बिना समस्त तथ्यों की जांच करवाये बिना तथा वारिसान की जांच करवाये बिना आदेश पारित किया हैं। अपीलांट को पटवारी हल्का के मार्फत उक्त इंतकाल की जानकारी दिनांक 27.09.2012 को हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

6. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा रेस्पोडेटगण संख्या 1, 4 ता 6 एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद का कोई जवाब पेश नहीं किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की तथा ना ही कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लक्ष्मण सिंह का देहान्त दिनांक 14.12.2011 को हो चुका है तथा उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई का भी देहान्त हो चुका है। इस प्रकार अपीलांट के पति कुशाल सिंह एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 लक्ष्मण सिंह के वारिसान थे। जिसमें से अपीलांट के पति कुशाल सिंह का भी देहान्त हो चुका है जिसके देहान्त के उपरांत अब अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 लक्ष्मण सिंह के विधिक वारिसान है। लक्ष्मण सिंह के देहान्त उपरांत उक्त भूमि उनके वारिसान को विरास्तन प्राप्त हुई तथा वारिसान संयुक्त अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही थी। लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा स्वयं अकेले उक्त कृषि भूमि को हडपने के उदेश्य से मृतक लक्ष्मण सिंह की फर्जी एवं कूटरचित वसीयत तैयार कर उक्त वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन इंतकाल संख्या 157 दिनांक 28.05.2012 दर्ज करवा लिया। मृतक लक्षण सिंह की निर्वसीयत मृत्यु हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो उक्त वसीयत की सत्यता की जांच की तथा ना ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। उक्त वसीयत उप पजीयंक कार्यालय में पंजीबद्व ना करवाकर नोटेरी पब्लिक के कार्यालय में ही सम्पादित की गई। चूंकि जब लक्ष्मण सिंह उक्त वसीयत निष्पादित करने हेतु जब तहसील तक जा सकते थे जो उन्हे करने हेतु उप उपंजीयक कार्यालय में जाकर वसीयत पंजीबद्व करवाने हेतु भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। उक्त वसीयत एक षडयंत्र के तहत तैयार की गई [illegible] की सारी कार्यवाही आनन—फानन में तथा विधि विरूद्ध तरीके से की गई। अतः अधीनस्थ [illegible] के प्रकरण संख्या 51/2012 में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 24.04.2012 एवं इसके [illegible] इंतकाल संख्या 157 दिनांक 28.05.2012 निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:26:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

8. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया कि लक्षमण सिंह अपने जीवन काल में रेस्पोडेंट संख्या 01 के पास ही रहता था। मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर लक्षमण सिंह द्वारा अपने जैर अपील खातेदारी भूमि की वसीयत मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित कर दी। तत्पश्चात नियमानुसार विधिक प्रकिया पूर्ण करते हुए तथा वसीयत की जांच करते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक दिनांक 24.04.2012 पारित किया है तथा उक्त आदेश की पालना में ही इंतकाल संख्या 157 दिनांक 28.05.2012 स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलांट निराधार होने से निरस्त की जावे।

9. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 4 ता 6 ने अपनी बहस में अपीलांट के तथ्यों को समर्थन किया एवं अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

10. रेस्पोडेंट संख्या 7 पैरोकार राज ने दौराने बहस निवेदन किया कि जैर अपील इंतकाल नियमानुसार व पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए ही स्वीकृत किये गये है। अपीलांट की यह अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन, मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। रेस्पोडेंट संख्या 01 गोपाल सिंह ने लक्षमण सिंह द्वारा गोपाल सिंह के पक्ष में दिनांक 26.09.2011 को निष्पादित की गई वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2012 को पेश किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ द्वारा लक्षमण सिंह के वारिसान को सुनवाई का नोटिस दिये बिना सीधे ही दैनिक सामाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सार्वजनिक सूचना की प्रति से जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस/सूचना दिये जाने संबंधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2012 व उसके आधार पर चक 11 एलएसएम'ए' का इंतकाल संख्या 157 स्वीकृत दिनचांक 28.05.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक लक्षमण सिंह के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष दिनांक 16.02.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होवे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तकमील नम्बर से कम होकर दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:26:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner